

Regarding maintenance and repair of city roads in states ?laid

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : अक्सर यह देखने में आया है कि देश में हर राज्य में शहरी सड़कों का रखरखाव, मरम्मत और देखभाल तीन एजेंसियों के माध्यम से होती है। वो है स्थानीय नगर निगम, स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य लोक निर्माण विभाग। वर्षा के बाद जब सड़कें खराब हो जाती हैं और जगह-जगह पर गड्ढे हो जाते हैं। उन पर वाहन चलाना कठिन हो जाता है। उस समय कोई भी एजेंसी उन सड़कों को ठीक करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है। इससे आम नागरिकों को असहनीय परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कें खराब होने के कारण उन पर वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है और वाहन की क्षति होने की संभावना अधिक हो जाती है तथा ईंधन की खपत भी काफी बढ़ जाती है। इससे धन की हानि के साथ-साथ दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। यह समस्या न केवल मेरे प्रदेश राजस्थान में है, बल्कि देश के हर राज्य के शहरों की है। इससे निजात पाने की अति आवश्यकता है।

इस उपरोक्त कठिनाई और परेशानी से जो वहां की स्थानीय जनता को जूझना पड़ता है, इसको ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूँ जिससे कि इन कठिनाइयों और परेशानियों से स्थानीय जनता को कुछ राहत मिल सकती है। वो यह है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सभी राज्यों को यह निर्देश दे कि शहरी सड़कों की देखभाल, उनका रखरखाव और मरम्मत आदि का कार्य एक बोर्ड का गठन करके उसको सौंप दिया जाये। केवल वही बोर्ड शहरी सड़कों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लें। इससे शहरी सड़कों की हालत में सुधार होगा और जनमानस राहत की सांस ले सकेगा।

अतः मैं अंत में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि मेरी बात पर गहराई से चिन्तन करें और इस विषय में उचित कदम उठाएं जिससे कि स्थानीय जनता का भला हो सके।